

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या-433 / 2015

रघुवीरदत्त गोवर्धन राम व अन्य

—: बनाम :—

सीताराम व अन्य

आदेश दिनांक:—

06—09—2017

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री दौलत शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को पत्रावली में कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जाता है । यदि उक्त अवधि में आक्षेपों की पूर्ति नहीं की जाती हैं तो यह अपील इस न्यायालय को सन्दर्भित किए बिना स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)